Year-9-10; 2018-19
ISSN–2231-1130
Impact Factor – 3.521(IIJIF)
●●●●VEETHIKA●●●

विकलांगों के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के योगदान का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ0 जे0एस0पी0 पाण्डेय*
सन्दीप पाण्डेय**

सारांश

जनगणना (2011) के अनुसार भारत के कुल 64 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपना कोई योगदान नहीं देते हैं अथवा कहा जा सकता है कि उन्हें योगदान का अवसर प्रदान ही नही किया जाता है, जबकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन स्तरों के मूल मानकों को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। प्रकृति में इस तरह की धारणा को संरक्षक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति कभी भी अपनी नीति निष्क्रियताओं को उचित नही ठहराती है तथा सभी के साथ समान नियमों का पालन करती है। कुछ प्रकृतिशास्त्री मानते हैं कि मानव समाज के नियमों का उद्भव प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही हुआ है। फिर भी, हमारी मान्यताएँ और विचारधाराएँ विकलांग लोगों के लिए भिन्न क्यों हैं? क्यों हम उनके जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होतें हैं? इन प्रश्नों का उत्तर प्रकृति के पास भी नही है। शायद यह मानव प्रकृति ही है कि हम केवल उन पर ही ध्यान केन्द्रित करते हैं, जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं।

मुख्य शब्द : विकलांगता, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन।

प्रस्तावनाः

भारत में कुल जनसंख्या का 2.21% आबादी (लगभग 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्ति) किसी न किसी रूप में विकलांगता से ग्रसित है। कुल विकलांग व्यक्तियों में से 1.50 (55.9%) करोड़ पुरुष और 1.18 (44.1%) करोड़ स्त्रियाँ हैं। जनगणना (2011) में विकलांगता को आठ भागों में विभक्त कर अध्ययन किया गया। कुल 2.68 करोड विकलांग व्यक्तियों में से दृष्टि बाधित (18.8%), श्रवण बाधित (18.9%), वाक् बाधित (7.5%), चालन बाधित (20.3%), मानसिक रोगी (2.7%), मानसिक मंदता (5.6%), बहुविकलांगता (7.8%) तथा अन्य विकलांगताओं (18.4%) से ग्रसित व्यक्ति शामिल हैं।

वर्तमान में विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के पारित होने से अब कुल 21 प्रकार की विकलांगता की श्रेणियाँ हो गयी हैं। इन श्रेणियों को निम्न 5 भागों के अर्न्तगत रखा गया है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विकलांगताओं को समाज के विकसित एवं गतिशील धारणाओं के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो निम्न हैं

(i) शारीरिक (Physical)

1. चलने फिरने की असमर्थता/चालन विकलांगता (Locomotor Disability)
पहचानः हाथ अथवा पैर अथवा दोनों की निशक्तता, हाथ अथवा पैर का कट जाना।

2. कुष्ठ रोग निवृत्त व्यक्ति (Leprosy-Cured Person)
पहचानः हाथ अथवा पैर अथवा अंगुलियों में विकृति, टेढ़ापन, शरीर का त्वचा पर रंगहीन धब्बे, हाथ अथवा पैर अथवा अंगुलियों का सुन्न हो जाना।

3. बौनापन (Dwarfism)
पहचान : व्यक्ति के वयस्क होने पर भी उसकी लम्बाई 4 फुट 10 इंच अर्थात 147 सेमी0 या इससे कम होना।

4. मस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy)
पहचान : मस्तिष्क के किसी हिस्से में नुकसान के कारण पैरों में जकड़न,चलने में कठिनाई अथवा हाथ से काम करने में कठिनाई।

5. मांसपेशीय दुर्विकास (Muscular Dystrophy)
पहचान : जन्म से मांसपेशियों का विकास न हुआ हो, कमजोरी अथवा विकृति उत्पन्न हो गयी हो।

6.एसिड हमले के शिकार (Acid Attack Survivors)
पहचान : शरीर का कोई भी अंग जैसे हाथ अथवा पैर अथवा आंख आदि तेजाब हमले की वजह से असमान्य/प्रभावित होना।

7. अन्धता (Blindness)
पहचान : देखने में कठिनाई, पूर्ण दृष्टिहीन, दृश्य संवेदनशीलता 3/60 से अधिक नही होना अथवा 10/200 स्नेलन दृश्य संवेदनशीलता अथवा 10 डिग्री दृश्य परिसीमा।

8. कम दृष्टि (Low-vision)
पहचान : कम दिखना जिनमें 60 वर्षो से कम आयु की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा रंगों की पहचान नही कर पाना। लेंस के साथ 6/18 या 20/60 से अधिक नही दिखना अथवा 6/60 या 20/200 स्नेलन दृश्य संवेदनशीलता अथवा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक दृश्य परिसीमा।

9. बहारापन (Deaf)
पहचान : दोनो कानों से 70 डेसीबेल तक की ध्वनि का सुनाई न देना।

10. ऊँचा सुनना (Hard of Hearing)

*एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग बी0एस0एन0वी0 पी0जी0 कालेज, लखनऊ (उ0प्र0)
**शोध छात्र डी० ए0 वी0 पी0जी0 कालेज कानपुर (उ0प्र0)

पहचान : दोनो कानों से 60–70 डेसीबेल तक की ध्वनि का सुनाई न देना।

11.बोलने और भाषा की विकलांगता (Speech and Language Disability)

पहचानः बोलने में कठिनाई अथवा सामान्य बोली से अलग बोलना जिसे अन्य लोग समझ नही पाते हों।

(ii) बौद्धिक (Intellectual)

1. बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)

पहचानः सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई, प्रतिदिन के कार्यो में एवं सामाजिक कार्यो और अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई।

2.विशेष सीखने की अक्षमता (Specific Learning Disability)

पहचान :बोलने, श्रुत लेखन, साधारण जोड, घटाना, गुणा, भाग, दूरी, भार, इत्यादि को समझने में कठिनाई।

3.ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (Autsim Spectrum Disorder)

पहचान : किसी कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई, आंखे मिलाकर बात न कर पाना अथवा गुमसुम रहना।

(iii) मानसिक व्यवहार (Mental Behaviour)

1. मानसिक बीमारी (Mental Illness)

पहचान : अस्वाभाविक व्यवहार, खुद से बातें करना, भ्रम जाल, मतिभ्रम, व्यसन, किसी से डर/भय, गुमसुम रहना।

(iv) अन्य के कारण विकलांगता (Disability Caused Due to)

(अ) जटिल स्नायविक स्थिति (Chronic Neurological Conditions)

1.बहुविधि ऊतक दृढ़न (Multiple Sclerosis)

पहचान : दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी होना।

2. पार्किंसन रोग (Parkinson's Disease)

पहचान : हाथ अथवा पैर अथवा मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिकातंत्र प्रणाली सम्बन्धी कठिनाई मुख्यतः मध्यम और अधिक आयु वर्ग के लोग प्रभावित।

(ब) रक्त विकार (Blood Disorder)

1. हीमोफिलिया (Hemophilia)

पहचान : चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्राव अथवा रक्त बहना बन्द न होना।

2. थैलेसीमिया (Thalassemia)

पहचान : खून में हीमोग्लोबिन की विकृति, खून की मात्रा का कम होना।

3. सिकल कोशिक रोग (Sickle Cell Disease)

पहचान : खून की अत्यधिक कमी (रक्त अल्पता)। खून की कमी से शरीर के अंग अथवा त्वचा अवयव खराब होना।

(v) बहुविकलांगता (Multiple Disability)

1.बहुविकलांगता (Multiple Disability)

पहचान : दो या दो से अधिक विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति। विशेषकर दृष्टिहीन और बहरे व्यक्ति।

विकलांगों के कल्याण एवं विकास की प्रक्रिया प्रत्येक देश में उसकी आवश्यकता के अनुरूप होती है। क्योंकि देश में सरकार की भिन्न–भिन्न भूमिकाएँ, कार्य और उद्देश्य होते हैं। वास्तव में, विकास पारस्परिक प्रयास का परिणाम होता है। जिसमें समाज के सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक होती है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकलांगता के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों ने अपनी भी सक्रिय भूमिका निभायी है। एक ओर जहाँ सरकारी संगठनों का कार्य सीधे तौर पर जनसामान्य को लाभान्वित करने का होता हैं, वहीं दूसरी ओर गैर सरकारी संगठन राज्य सरकारों और जनसामान्य के बीच एक संयोजक कड़ी के रूप में कार्य करते हुए बुनियादी स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि आवश्यकताओं की प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि, सरकार के पास सीमित साधनों की उपलब्धता होती है जिसके कारण लाभार्थियों तक समुचित सुविधाएँ नही पहुँच पाती हैं। इसी कारण सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनो की श्रेणीयाँ और विविधताएँ बहुआयामी होती हैं। गैर सरकारी संगठन अपने विविधतापूर्ण कार्यक्षेत्रों, आकारों इत्यादि से सरकार के साथ जुडें होते हैं। ये जनसमुदायों की अवश्यकताओं को सरकारी योजनाओं के साथ जोडने में एक एजेंट की भूमिका निभाते हैं। ये अपने कार्यों के लिए जनसामान्य और सरकार दोनो के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वतंत्र होते हुए भी गैर सरकारी संगठन सरकार पर एवं सरकार अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए गैर सरकारी संगठनों पर अन्तःनिर्भर रहते हैं। उदाहरणार्थ गैर सरकारी क्षेत्रों में सक्षम (समदृष्टि, क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल) विकलांगों के पुनर्वास एवं उत्थान तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सम्पूर्ण देश में कार्यरत है। यह 21 प्रकार की विकलांगताओं को निम्न सात प्रकार के क्षमता विकास प्रकोष्ठों के माध्यमों से विकलांगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यरत है। 1. दृष्टि बाधित प्रकोष्ठ 2. श्रवण बाधित प्रकोष्ठ (प्रणव) 3. बुद्धि बाधित प्रकोष्ठ (धीमही) 4. कुष्ठ बाधित प्रकोष्ठ 5. रक्त बाधित प्रकोष्ठ (प्राणदा) 6. अस्थि बाधित क्षमता विकास प्रकोष्ठ 7. मानसिक रूग्णता संबन्धी क्षमता विकास प्रकोष्ठ।

विकलांगों के लिए सरकारी संगठनों का योगदान :

समाज में विकलांगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, और व्यवसायिक आधार पर सरकार विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने का निरन्तर प्रयास करती रहती है। इन प्रयासों के फलस्वरूप सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक अल्पवाधिक अथवा दीर्घावधिक योजनाओं का संचालन किया जाता हैं। जिससे की इन योजनाओं का लाभ त्वरित रूप में अथवा कुछ समयान्तराल में प्राप्त किया जा सके। विकलांगो के लिए सरकारी संगठनों के योगदान को प्रमुखतः से योजनाओं के रूप में दृष्टिगत किया जा सकता है।

सरकार का मानना है कि अनेक विकलांग व्यक्तियों के मन में कार्य करने और आर्थिक निर्भरता प्राप्त करने तथा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने की प्रबल इच्छा है। जिसे विकलांग व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों में सुधार करके उनके और उनके परिवारों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाया जा सकता है। वहीं इससे विस्तृत अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ होगा। इन विकलांग व्यक्तियों के रोजगाररत न रहने के कारण देश और समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही है। विश्व बैंक का मानना है कि ''विकलांग व्यक्तियों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से बाहर छोड़ने के कारण देश की सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) में 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की हानि होती है।'' इसलिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराने से श्रम शक्ति की कमी को पूरा करने में सहायता प्राप्त की जा सकती है तथा कल्याणकारी आत्मनिर्भरता से सम्बन्धित आर्थिक दबाव भी कम किया जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों के सार्वभौमिक शैक्षिक विकास तथा आर्थिक एवं व्यावसायिक आत्मनिर्भरता और उनकी समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए उद्यमिता तथा कौशल विकास प्रदान कराया जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 8,000 संस्थाएँ विकलांगों के पुनर्वास और कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत है। जिनमें से लगभग 100 संस्थाओं का संचालन ही मात्र सरकार द्वारा किया जाता है, शेष सभी गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होतीं हैं।

निम्न प्रमुख सरकारी संस्थान अथवा संगठन अपने–अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं–

1. राष्ट्रीय विकलांग जन वित्त एवं विकास निगम : इस निगम की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी 1997 को हुई थी। यह कम्पनी अधिनियम 1956 अनु0–25 के अर्न्तगत पंजीकृत तथा गैर लाभ वाली कम्पनी है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है। कम्पनी का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ आर्थिक विकास के क्रिया–कलापों को बढ़ावा देना, विकलांग व्यक्तियों के लाभ तथा आर्थिक पुनर्वास के लिए अन्य उपक्रमों एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना, उन विकलांग व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना जो व्यावसायिक पुनर्वास, स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने अथवा तकनीकी एवं उद्यमी कौशल के विकास में आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।

2. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) : भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) भारत सरकार का एक गैर लाभकारी उपक्रम है। जो नो प्राफिट नो लॉस के सिद्धान्त का अनुपालन करता है। इसका मुख्यालय उ.प्र. के कानपुर शहर में है। इसके 35 स्थापित केन्द्र और 152 कार्यान्वित एजेन्सियाँ हैं जो राज्य सरकारों के माध्यमों से कार्य करती हैं। एलिम्को का उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के पुनर्वास में सहायक कृत्रिम अंगों का निर्माण और उनकी आपूर्ति करना है।

3. भारतीय पुनर्वास परिषद (रीहैबिलिटेशन काउन्सिल ऑफ इण्डिया) : किसी भी पुनर्वास कार्यक्रम के प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसका दृष्टिकोण बहुआयामी हो, और विकलांगताओं की घटनाओं को कम करने के लिए प्रारम्भिक अवस्था में ही इसके कारणों को दूर किया जा सके। व्यापक रूप से पुनर्वास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को मुख्य धारा में शामिल करना होता है।

भारतीय पुनर्वास परिषद के अन्तर्गत दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना का संचालन किया जाता है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के कौशल उन्नयन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता (परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक) प्रदान कराया जाता है। यह कौशल 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लिए होता है ताकि ऐसे व्यक्ति आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें।

4. राष्ट्रीय न्यास (नेशनल ट्रस्ट) : यह विकलांगो एवं उनके परिवारों की क्षमता का विकास करने, उनके अधिकार दिलाने एवं उनके लिए सकरात्मक वातावरण तैयार करने तथा समावेशी समाज बनाने की दिशा में कार्यरत एक राष्ट्रीय संस्था है। जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अर्न्तगत गठित एक स्वायत्त संस्था है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विकलांगो को आवश्यक और जनकल्याणकारी योजनाओं द्वारा सशक्त बनाकर समान अधिकार और समान अवसर उपलब्ध कराना है, साथ ही

राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत अन्य संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से विकलांगो के अधिकारों के संरक्षण, समाज में समाकलन और उनके ससम्मान जीवन यापन को सुनिश्चित कराना है।

राष्ट्रीय न्यास की प्रमुख योजनाएं –

- दिशा (प्रारम्भिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना)
- विकास (डे–केयर)
- समर्थ (राहतकारी देखभाल)
- घरौंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह)
- प्रेरणा (विपणन सहयोग)
- निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना)
- सहयोगी (देखभालकर्ता प्रशिक्षण योजना)
- ज्ञान प्रभा (शैक्षणिक सहयोग)
- संभव (सहायक सामग्री और सहायता उपकरण)
- बढ़ते कदम (जागरूकता एवं समुदाय से मेलजोल)

इनके अलावा सरकार द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सात राष्ट्रीय संस्थानों का कार्यान्वयन भी किया गया है, जो विकलांग कल्याण एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ये संस्थान हैं –

- पं0 दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग व्यक्ति सशक्तीकरण संस्थान, सिकन्दराबाद
- राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता
- अली यावर जंग श्रवण बाधित राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई
- स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक
- राष्ट्रीय बहुविकलांगता सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई

क्षेत्रीय स्तर पर समुचित देखभाल के लिए 5 संयुक्त पुनर्वास केन्द्र, 4 पुनर्वास केन्द्र तथा 120 विकलांग पुनर्वास केन्द्र हैं, जो विकलांगजनों को विभिन्न प्रकार की पुनर्वास सेवायें प्रदान करते हैं। इसमें राज्य सरकार पुनर्वास सेवायें प्रदान कराती है।

विकलांगों के लिए गैर सरकारी संगठनों का योगदान :

गैर सरकारी संगठनों के प्रत्यक्ष परिणामों में विकलांगों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा जैसी गतिविधियों को अधिक विकसित किया गया है। स्थानीय स्तर पर गैर सरकारी संगठन सकारात्मक दृष्टिकोणों और व्यवहारों में परिवर्तन को बढ़ावा देने में सफल हुये हैं। परिणामस्वरूप, विकलांगों को विकलांगता की सोच से मुक्त करने और उनको सक्रिय रुप से भागीदार बनाने में ये संगठन उन्हें सक्षम बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

मोहन्ती (1996) भारत में गैर सरकारी संगठनों के उदय, उनके विकास और भूमिका की विस्तृत चर्चा करते हुए कहते हैं कि गैरसरकारी संगठनों ने अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को संचालित करने के लिये देश अथवा विदेशों से प्राप्त धन का उपयोग सार्थक प्रकार से किया है। सिंह (2003) भी विकलांगों के सामाजिक–आर्थिक विकास को एक संगठनात्मक शक्ति का परिणाम मानते हैं। जो समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के योगदान द्वारा ही सम्भव हो सकता है। परन्तु सरकार के पास उपलब्ध सीमित साधनों और प्रयासों के द्वारा अधिकतम लोगों को सम्मिलित करा पाना सम्भव नहीं है।

गैर सरकारी संगठनों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में काफी वृद्धि हुई है क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं ने उनके कार्य क्षेत्रों में भी वृद्धि की है। गैर सरकारी संगठनों के कारण विकलांगों के विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता को प्रोत्साहन मिला है। उन कारणों को जानने की समझ विकसित हुई है जिसके कारण विकलांगों को समाज की मुख्य धारा से अलग रखा जाता रहा है अथवा बहिष्कृत समझा जाता रहा है। गैर सरकारी संगठनों ने विकलांगों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय प्रयास किये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय स्तरों पर अनेक स्पेशल स्कूलों की स्थापना की गयी है। जिनमें प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा प्रदान करायी जाती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जगतगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। विकलांगों के लिए संचालित यह भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गैर सरकारी संगठन द्वारा की गयी है। सामाजिक क्षेत्र में विकलांगों के समायोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा कृत्रिम अंग, ट्राइ साइकिल, बैसाखी, चिकित्सा सुविधाएं आदि प्रदान करायी जाती हैं। विकलांगों को आर्थिक निर्भरता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा आर्थिक सहायता राशि, स्वरोजगार प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों का भी संचालन किया जाता है। विकलांगों के प्रति सामाजिक मान्यताओं और रूढ़ियों को बदलने के लिए ये संगठन मेलों, उत्सवों, खेल कार्यक्रमों और गोष्ठियों का आयोजन भी करते हैं।

क्लार्क (1991) के अनुसार, विकलांगों के लिए मुख्यधारा के निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की निम्न मुख्य भूमिकाएँ होती हैं–

- सरकारी सहायता राशि को वंचितों तक पहुँच के लिए प्रोत्साहित कराना।

- सरकारी संगठनों/मंत्रालयों को उनके सफल विकास कार्यक्रमों के लिए दृष्टिकोण प्रदान करना।
- जनसमुदाय को शिक्षित करना और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना।
- लोक–विचारों और स्थानीय अनुभवों के आधार पर सरकारी कार्यक्रमों और सामान्य जन की आवश्यकताओं के मध्य उचित माध्यम का निर्माण करना।
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों की विकास नीतियों को विकलांगों की आवश्यकताओं से परिचित कराना।
- वैकल्पिक सेवाओं और विकास की योजनाओं को प्रदान करना।

इनके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों ने विकलांगों के लिए सरकार द्वारा छोडे गये अन्तराल को भरने का प्रयास किया है। इनमें प्रमुख रुप से हैं –

(i) वास्तविक हितधारकों को चिन्हित करना।
(ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाओं तक पहुँच को सुलभ बनाना।
(iii) विभिन्न प्रकार के संसाधन जुटाना।
(iv) सामुदायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान कराना।
(v) विकलांगों के प्रति समाज में मनोभाव और व्यवहार में परिवर्तन लाना।
(vi) क्षमता निर्माण/कौशल विकास के कार्यक्रमों को संचालित करना।
(vii) विकलांगों के लिए सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण के लिए तंत्र प्रक्रिया का निर्माण करना।
(viii) अनुसंधान और सूचना प्रसार करना।
(ix) विकलांगों के सकारात्मक परिवर्तन के लिए नेटवर्किंग, जनमत संग्रह और समर्थन जुटाना।

अतः इन विभिन्न विकल्पों के माध्यमों से गैर सरकारी संगठनों ने जमीनी स्तर पर समाज, राष्ट्र अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। गैर सरकारी संगठनों ने न केवल सहायक बल्कि कम लागत वाले सेवा कार्यक्रमों का निर्माण भी किया है।

सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अन्तःसम्बन्धों और उनके बीच के अन्तरों का स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए समाजशास्त्र में विकलांगों और विकलांगता के लिए एक नये सैद्धान्तिक एवं कार्यात्मक रूपरेखा की आवश्यकता है। जिससे समाजशास्त्र में विकलांगता को सर्वमान्य रूप से स्वीकार करने तथा इस क्षेत्र में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण उत्पन्न करने का प्रयास किया जा सके। इस सम्बन्ध में बर्नस और ओलिवर (1993) का कहना है कि विकलांगता के क्षेत्र में अनेक समाजशास्त्रियों ने विभिन्न–विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में अध्ययन किये हैं। परन्तु विशेष रूप में उनके द्वारा किये गये अध्ययनों को तीन परिप्रेक्ष्यों में विश्लेषित किया जा सकता है–

(1) प्रकार्यवादी (Functional Perspective)
(2) संघर्षवादी (Conflict Perspective)
(3) अन्तःक्रियावादी (Interactional Perspective)

प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का मानना है कि सामाजिक संरचना का प्रत्येक भाग परस्पर एक सेट के रूप में मिलकर सामाजिक व्यवस्था को बनाता है परन्तु विकलांग व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था की माँग के अनुरूप अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। प्रकार्यवादी विकलांगता को व्यक्तिगत असमर्थता मानते हैं। वहीं, संघर्षवादी समाज में असमानता और वंचित लोगों के अस्तित्व के सामाजिक बहस पर बल देते हैं। यह परिप्रेक्ष्य विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को सरकार द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक नीति के साथ जोड़ने के अध्ययन पर बल देता है। संघर्षवादी समाजशास्त्री मानते हैं कि राज्यों द्वारा बनायी गयी सामाजिक नीतियाँ, सामान्य समाज द्वारा विकलांगों के सामाजिक नियंत्रण के एक माध्यम के रूप में कार्य करती हैं, जो विकलांग व्यक्तियों पर सामान्य समाज द्वारा दबाव और नियंत्रण का एक रूप है। इन सबसे भिन्न अन्तःक्रियावादी विकलांग व्यक्तियों की भावनाओं और उनके अनुभवों के अन्वेषणों पर ध्यान केन्द्रित करने पर बल देते हैं। व्यापक रूप में ये विकलांगता की दशाओं और प्रकृति के अन्तःसम्बन्धों, विकलांगों और अन्य के अन्तःसम्बन्धों को मान्यता देने का भी अध्ययन करते हैं। इनका मानना है कि कभी–कभी विकलांग व्यक्ति भी स्वयं की पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करता है। विकलांगता कभी भी सामाजिक संरचना के बाहर मौजूद नही हो सकती है। यह कुछ सिद्धांतो का परिणाम होती है अर्थात विकलांगता एक कल्पित वस्तु है जो सामाजिक स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के प्रति सार्वजनिक धारणाओं में दिखाई देती है।

निष्कर्ष

प्राप्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये गये कार्य विकलांगों के सशक्तिकरण के स्तर के प्रयासों के साधन हैं। विकलांगों के समुचित विकास और उत्थान में सरकार और समाज की सार्थक सहभागिताओं द्वारा उनकी समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बढ़ती जागरूकता और मजबूत इच्छाशक्ति विकलांगों के अधिकारों की प्राप्ति में साधक की भूमिका निभा सकती है। एक ओर जहाँ, सरकारी संगठनों प्रमुख

दायित्व विकलांगजनों हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तथा विकलांगजनों के सम्बन्ध में नीतियों का निर्धारण करना है। वहीं दूसरी ओर, विकलांगजनों के विकास सम्बन्धी कार्य हेतु अर्न्तविभागीय समन्वय के साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक सेवाओं में विकलांगजनों हेतु आरक्षण को सुनिश्चित करना तथा उनके विकास हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान प्रदान कराना है।

विकलांगों को समुचित सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा उनके लिए पर्याप्त रूप में विकलांगता प्रमाण–पत्र की अनुलप्ब्धता है। जिसके अभाव में उन्हें सरकारी सभी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान गैर सरकारी संगठनों के सहयोग द्वारा तथा जनजागरूताओं के माध्यमों से किया जाता है। यद्यपि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर विकलांगजनों का सशक्तीकरण हुआ है और उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सका है तथापि विकलांगों की जनसंख्या, उनकी विकलांगता का स्तर तथा सामाजिक अन्तःसम्बन्धों की दृष्टि से अभी भी अनेक विषमताएँ हैं तथा भेदभाव विद्यमान हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. MoSJE (2016). "First Country Report on the Status of Disability in India", Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India , New Delhi.
2. Pandey, J.S.P. (2017). "Disability and Social Security", Mount Hill Publishing Company, Delhi.
3. Pandey, J.S.P. and Pandey, Sandeep (2017). "Impact of Positive Promotions for PWDs", RJPSS, Vol.42, No. 2 pp.95-103
4. Pandey, Sandeep (2018). "Social Inequality of Opportunity: In Context of PWDs", International Journal of Knowledge Concepts, Vol. 6, Issue 1 pp. 13-17.
5. SAKSHAM, http://www.sakshamseva.org
6. Singh, K.R., Sudhir and Kachhap, K.A. (2008). "Disability, Citizenship and Exclusion", Anamika Publishers: New Delhi.